

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभागसंकल्प

15 फरवरी, 2018

विषय:- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत वर्ष 2015-16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि की शेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए स्वीकृति तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत स्वीकृत राशि का भुगतान DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. विभागीय संकल्प सं0-4061 दिनांक-16.05.2016 द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं विगत वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत आगामी वर्षों में नवीकृत छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

संकल्प निर्गत की तिथि तक लंबित छात्रवृत्ति के दावों का निस्तार उपर्युक्त संकल्प के आलोक में किया गया।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत वर्ष 2015-16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि की शेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/अनुदेशों/मापदण्डों के आधार पर निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :-

(क) (i) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत वर्ष 2015-16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि की शेष पाठ्यक्रम अवधि के लिए स्वीकृति दी जाएगी।

(ii) प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत छात्रवृत्ति की अन्तर राशि को भुगतान की Electronic trail एवं भौतिक जाँच कराने के पश्चात् DBT के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाएगा।

(ख) शिक्षा विभाग के द्वारा स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु कार्यरत थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिये चयनित एजेंसी से सत्यापन कराने के पश्चात छात्रवृत्ति की अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाएगी।

(ग) उक्त के अतिरिक्त अनुमान्य अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर नियमानुसार देने की स्वीकृति दी जाएगी।

(घ) इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं०-4061 दिनांक-16.05.16 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

4. थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के एजेंसी से सत्यापन कराने के पश्चात जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति की अनुशंसा के पश्चात छात्रवृत्ति की अन्तर राशि की स्वीकृति दी जाएगी।

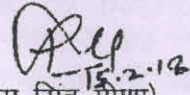
5. बजट-शीर्ष

राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत मांग संख्या-44 में अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से विकलनीय होगा।

6- उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरान्त छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

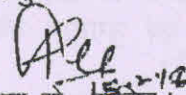
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/ पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प्रेम सिंह मोणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे०(छात्र०)-23-151/16- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018

प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित।

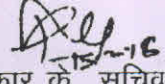

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे०(छात्र०)-23-151/2016- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018

प्रतिलिपि- हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

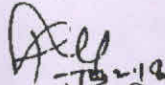

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

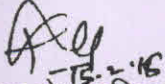
ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

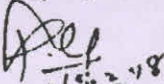
ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

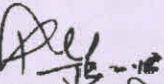
ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018

प्रतिलिपि- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली /सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्र0)-23-151/2016- 386 पटना, दिनांक-15.02.2018

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।